निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

प्रकरण संख्या :169/2011 तारीख दायराः 10.10.2011

उनवान

रामचरण आत्मज बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम लसैडिया कलां तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। — वादी

बनाम

1. धन्नालाल आत्मज प्रभूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम नयापुरा तह.सांगोद।
2. राकेश आत्मज प्रभूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम नयापुरा तह.सांगोद।
3. घनश्याम आत्मज गंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम नयापुरा तह.सांगोद।
4. नरेन्द्रकुमार आत्मज गंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम नयापुरा तह.सांगोद।
5. कलावती पुत्री गंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम नयापुरा तह.सांगोद।
6. श्यामबाई पुत्री गंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम नयापुरा तह.सांगोद।
7. मन्जुबाई पुत्री गंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम नयापुरा तह.सांगोद।
8. बद्रीबाई पुत्री गंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम नयापुरा तह.सांगोद।
9. तीजूबाई पत्नी गंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम नयापुरा तह.सांगोद।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। — प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :— दिनांक :— 28/11/25

श्री बाबूलाल अरविन्द (वकील वादी)

—— निर्णय ——

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता हस्तगत वाद में इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि —

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद (जिला कोटा

वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की अन्य खसरा नं. की आराजीयात के साथ ग्राम नयापुरा तहसील सांगोद के खसरा नं. 293 की 0.50 हैक्टर,खसरा नं. 294 की 0.82 हैक्टर की आराजीयात स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात पर वादी वर्षो से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है।

- वादी के खाते की वाद पत्र में वर्णित आराजीयात के दक्षिणी तरफ प्रतिवादी नं.1 धन्नालाल के खाते की खसरा नं. 292 एवं खसरा नं. 292/745 की आराजीयात स्थित है तथा वादी की उक्त वर्णित आराजीयात के उत्तर में प्रतिवादी सं. 3 लगायात 9 के खाते की खसरा नं. 296, खसरा नं. 299 की आराजीयात स्थित है।
- प्रतिवादी सं. 1 लगायत 9 लडाकू झगझालू प्रवृति के व्यक्ति हैं, जो जबरन वादी की आराजीयात पर कब्जा कर वादी को बेदखल कर देना चाहते है। इसी उदेश्य की पूर्ति में प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने प्रतिवादी नं.1 के खाते की आराजी खसरा नं 292 के उत्तरी तरफ स्थित वादी के खाते की खसरा नं. 293 व खसरा नं. 294 की आराजीयात में से 3.50 मीटर चौडाई में पूर्व से पश्चिम लम्बाई में दबाकर कब्जा कर लिया है तथा प्रतिवादी सं. 3 लगायत 9 ने भी वादी के खाते की आराजी खसरा नं. 294 में से उत्तरी तरफ 4 फुट चौडी पूर्व से पश्चिम लम्बाई में दबाकर कब्जा कर लिया है तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 9 ने अपनी आराजीयात में मिला लिया है।
- प्रतिवादी सं. 1 लगायत 9 द्वारा वादी की आराजीयात में कब्जा करने की जानकारी वादी द्वारा दिनांक 01.06.2011 को पटवारी हल्का से वादी के खाते की आराजी खसरा नं. 293 व खसरा नं. 294 की मौके पर पैमाइश कराने पर वादी के खाते की आराजी खसरा नं. 293 व 294 की दक्षिणी तरफ प्रतिवादी नं.1 के खाते की आराजी खसरा नं.292 से लगवा 3.50 मीटर चौडाई में पूर्व से पश्चिम लम्बाई में वादी के खाते की आराजी पर कब्जा कर खसरा नं. 292 की आराजी में मिलाना तथा वादी के खाते की आराजी खसरा नं. 293 व खसरा नं. 294 की उत्तरी तरफ की 4 फुट चौडाई में पूर्व से पश्चिम आराजी पर कब्जा कर खसरा नं. 299 व खसरा नं. 296 की आराजी में मिलाने की जानकारी हुई।
- हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पैमाइश कराने के बाद वादी ने प्रतिवादी सं. 1 लगायत 9 से वादी की आराजी पर किए गये कब्जो को हटाकर वादी को सम्भालने के लिए कहने पर प्रतिवादीगण लडाई झगडा करने पर आमदा हुए तथा प्रतिवादीगण ने वादी की शेष

उपखण्ड अधिकारी

आराजी पर भी जबरन कब्जा कर वादी को उसके खाते की आराजीयात से बेदखल कर देने की धमकी दी।

- अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 के विरूद्ध इस आशय की बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित फरमाई जावे कि वाद पत्र में वर्णित वादी के खाते की आराजी खसरा नं. 293 की 0.50 हैक्टर, खसरा नं. 294 की 0.82 हैक्टर में दक्षिणी तरफ प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा खसरा नं. 292 की आराजी के उत्तरी तरफ 3.50 मीटर चौडाई व पूर्व से पश्चिम लम्बाई में स्थित कब्जे से प्रतिवादी सं. 1 व 2 को तथा खसरा नं. 293 व खसरा नं. 294 की आराजी में उत्तरी तरफ 4 फुट चौडे व पूर्व से पश्चिम लम्बाई में प्रतिवादी सं. 3 लगायत 9 जो पूर्व खातेदार गंगाराम के वारिसान है, को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे। वादी के खाते की खसरा नं. 293 व खसरा नं. 294 की शेष आराजीयात में प्रतिवादी सं. 1 लगायत 9 किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत नही करे, वादी को शेष आराजीयात से किसी प्रकार बेदखल कर कब्जा करने का प्रयास नही करे, तथा वादी को शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करने दे इसमे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। ऐसा न तो स्वयं प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 करे और न ही अपने किन्ही नौकरो एजेन्टो से ही करावे। दौरान वाद वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की शेष आराजीयात अथवा आराजीयात के किसी हिस्से से प्रतिवादीगण वादी को बेदखल कर कब्जा भी कर लेवे तो प्रतिवादी को आराजीयात से बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे।

- वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रकरण में प्रतिवादीगण की तलबी हो चुकी है। प्रतिवादी सं. 1 ता 9 बावजूद सूचना न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहे, अतः प्रतिवादी सं. 1 ता 9 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 10 द्वारा बावजूद सूचना जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः जवाब सरकार बंद किया गया।
- इसके उपरान्त पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। वकील वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में वादी का शपथ पत्र पी.डब्ल्यू 1 प्रस्तुत किया गया, पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 01.06.2011 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई तथा वादी एवं प्रतिवादीगण की आराजी की जमाबंदी व नक्शा प्रस्तुत किया गया।
- साक्ष्य वादी के उपरान्त पत्रावली बहस में नियत की गई। वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया तथा दावा वादी स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

मेरे द्वारा बहस वादी सुनी गई, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीयात कायम करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। प्रतिवादी सं. 1 ता 9 बावजूद सूचना न्यायालय हाजा मे अनुपस्थित रहे, जिससे प्रतीत होता है कि उन्हें वाद पत्र में वर्णित तथ्यों से किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज यथा वादी के शपथ पत्र पी.डब्ल्यू 1, पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 01.06.2011 आदि के अवलोकन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

उपरोक्तानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार नियत निर्धारित शर्तों बाबत किये गये उपरोक्त समस्त विवेचन, अधिवक्ता वादी की बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर अधोपांत अवलोकन अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वादी अपना वाद सिद्ध करने में सफल रहा। वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 ता 9 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे माल ग्राम नयापुरा तहसील सांगोद में वादी के खाते की आराजी खसरा नं. 293 की 0.50 हैक्टर, खसरा नं.294 की 0.82 हैक्टर आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत, मजामहत नहीं करें, वादी को अपनी आराजीयात से किसी प्रकार बेदखल कर कब्जा करने का प्रयास नहीं करें तथा वादी को शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करने दें, इसमे किसी प्रकार की बाधा, व्यवधान, अडचन पैदा उत्पन्न नहीं करे। ऐसा न तो स्वयं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 9 करे और न ही अपने किन्हीं नौकरों, एजेन्टों से ही करावे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की जावें।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 28/11/25 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या :169/2011 तारीख दायराः 10.10.2011

उनवान

रामचरण आत्मज बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम लसैडिया कलां तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – वादी

बनाम

1. धन्नालाल आत्मज प्रभूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम नयापुरा तह.सांगोद।
2. राकेश आत्मज प्रभूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम नयापुरा तह.सांगोद।
3. घनश्याम आत्मज गंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम नयापुरा तह.सांगोद।
4. नरेन्द्रकुमार आत्मज गंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम नयापुरा तह.सांगोद।
5. कलावती पुत्री गंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम नयापुरा तह.सांगोद।
6. श्यामबाई पुत्री गंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम नयापुरा तह.सांगोद।
7. मन्जुबाई पुत्री गंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम नयापुरा तह.सांगोद।
8. बद्रीबाई पुत्री गंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम नयापुरा तह.सांगोद।
9. तीजूबाई पत्नी गंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम नयापुरा तह.सांगोद।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। – प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 आर. टी. एक्ट 1955

दिनांक :– 28/11/25

उपस्थित :–

श्री बाबूलाल अरविन्द (वकील वादी)

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

आज यह मुकदमा वास्ते इन किसाल कताई रूबरू मुझ श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री बाबूलाल अरविन्द मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि–

वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 ता 9 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे माल ग्राम नयापुरा तहसील सांगोद में वादी के खाते की आराजी खसरा नं. 293 की 0.50 हैक्टर, खसरा नं.294 की 0.82 हैक्टर आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत, मजामहत नहीं करें, वादी को अपनी आराजीयात से किसी प्रकार बेदखल कर कब्जा करने का प्रयास नहीं करें तथा वादी को शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करने दें, इसमे किसी प्रकार की बाधा, व्यवधान, अडचन पैदा उत्पन्न नहीं करे। ऐसा न तो स्वयं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 9 करे और न ही अपने किन्हीं नौकरों, एजेन्टों से ही करावे।

तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28/11/25 को जारी की गई।

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	....	----NIL----		स्टाम्प वकालतनामा	....	----NIL----	
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अर्जी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील	....		
महनताना वकील	....			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बाबत इजराय हुकमनामा	....		
बाबत इजराय हुकमनामा	....			मुतफर्रिक	....		
मुतफर्रिक				मीजान	....		
मीजान	....						

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

मोहर .....

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद